भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 285
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

सरकारी उपक्रमों द्वारा सीएसआर निधि का आवंटन

285. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी उपक्रमों (पीएसयूज) ने गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान धनराशि खर्च करने वाले पीएसयू के नाम और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें उक्त धनराशि का उपयोग किया गया है, स्थानवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान किन शीर्षों के अंतर्गत व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार ने सीएसआर के अंतर्गत खर्च की जाने वाली राशि के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में, विशेषकर पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सीएसआर के अंतर्गत धनराशि खर्च करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या देश के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है या शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क)और (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए निर्धारित करते हैं। पिछले वर्ष के लिए अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो, को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाता है ताकि जिस उद्देश्य के लिए इसे आवंटित किया गया था, उसका उपयोग किया जा सके।

जारी.....2/-

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(लाख रुपए में)

सीपीएसई का नाम	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	16246	16193	13809
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	33	*	*
एनएमडीसी लिमिटेड	8758	19707	19114
मॉयल लिमिटेड	1374	1666	1526
मेकॉन लिमिटेड	61	125	140
केआईओसीएल लिमिटेड	555	87.5	*
एमएसटीसी लिमिटेड	302	378	481

*वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान वित्तीय घाटे के कारण, आरआईएनएल ने कोई सीएसआर निधि आवंटित नहीं की है और केआईओसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का उपयोग करके वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने सीएसआर दायित्वों को संरेखित किया है, जो विगत वर्षों के अतिरिक्त सीएसआर व्यय को सेट-ऑफ करने की अनुमति देता है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगे बढ़ाए गए अधिशेष सीएसआर व्यय से सेट-ऑफ का लाभ उठाकर अपनी वर्तमान सीएसआर आवश्यकता को समायोजित किया है।

सीएसआर गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगों को सहायता, जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच आदि शामिल हैं। सीएसआर कार्यों से बड़े पैमाने पर समाज को लाभ होता है, इसलिए सीपीएसई द्वारा स्थान-वार और संबंधित व्यय शीर्ष में किए गए अलग-अलग कार्यों के कारण लाभार्थियों की सटीक संख्या का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) से (च): इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिपों और खदानों की परिधि में चलाई जाती हैं, जहां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ी आबादी भी निवास करती है।

****